न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024 / 17 दायरा दिनांक : 06.02.2024

उनवान

1– बलराम आत्मज श्री श्योजी, जाति धाकड

2– लटूरलाल आत्मज श्री कालू, जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– पंसूबाई पुत्री श्री कालू पत्नी श्री मांगीलाल जाति धाकड हाल निवासी ग्राम कांकरदा तहसील खानपुर जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रकाशचंद पुत्री हीरालाल जाति धाकड

2– गायत्री पुत्री मोहनलाल जाति धाकड

3– सुमित्रा पुत्री मोहनलाल जाति धाकड

4– अंजली पुत्री महेश जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

5– केशव पुत्र महावीर आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

6– पार्वती पुत्री महावीर आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

7– कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

8– भूलीबाई पत्नी मोहनलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानुपर जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024 / 18 दायरा दिनांक : 06.02.2024

उनवान

1– बलराम आत्मज श्री श्योजी, जाति धाकड

2– लटूरलाल आत्मज श्री कालू, जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– पंसूबाई पुत्री श्री कालू पत्नी श्री मांगीलाल जाति धाकड हाल निवासी ग्राम कांकरदा तहसील खानपुर जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– प्रकाशचंद पुत्री हीरालाल जाति धाकड

2– गायत्री पुत्री मोहनलाल जाति धाकड

3– सुमित्रा पुत्री मोहनलाल जाति धाकड

4– अंजली पुत्री महेश जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

5– केशव पुत्र महावीर आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

6– पार्वती पुत्री महावीर आयु 12 वर्ष नाबालिग जरिये वली माता कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

7– कृष्णा पत्नी महावीर जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

8– भूलीबाई पत्नी मोहनलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम खेडली मीरां तहसील खानपुर जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानुपर जिला झालावाड़ .... अपीलांट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री ललित नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 लगायत 8 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.11.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 920/दावा/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 09.07.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 1 लगायत 8 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम भैरूपुरा पटवार हल्का बाघेर तहसील खानपुर में खाता नया 153 पुराना 133 की खसरा नम्बर 27 की रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी इस आराजी में वादीगण के दादा हीरालाल पुत्र भैरूलाल का हिस्सा 1/3 दर्ज रेकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया तथा दिनांक 28.11.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय व फाइनल डिक्री दिनांक 09.07.2020 पारित की गई। जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादी/अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 2024/17 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2017 को रेस्पोडेन्ट्स के बाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया था और उसके बाद रेस्पोडेन्ट्/वादीगण द्वारा वाद को रेस्टोर करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थी और अपीलांट्स को नोटिस तामील करवाये जाने के बाद वाद को नम्बर पर लिया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के प्रार्थना–पत्र की सूचना दिये बिना व नोटिस जारी किये बिना ही वाद को नम्बर पर ले लिया और उसके बाद अपीलांट्स के अधिवक्ता महोदय ने अपने दायित्व कर्तव्यों के विरूद्ध जाकर अपीलांट्स को सूचना दिये बिना वाद में उपस्थिति दे दी और जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से जवाब पेश नहीं किया और ना ही अपीलांट्स को जवाब पेश करने के लिये बुलाया और दिनांक 03.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर वाद अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुये वाद का निर्णय दिनांक 10.07.2019 को अवैध व गैर कानूनी तरीके से करवा दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचना दिये बिना और उसके बाद अपीलांट्स के पूर्व अधिवक्ता महोदय द्वारा अपीलांट्स की स्वीकृति व सहमति के बिना उपस्थिति देकर अपने अधिवक्ता के कर्तव्यों के विरूद्ध अवैध व गैर कानूनी तरीके से एक पक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 10.07.2019 को पारित करवा दी, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने व विधि द्वारा स्थापित कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज भैरूलाल जी थे और भैरूलाल जी के तीन पुत्र भंवरलाल, हीरालाल व कालू जी थे और तीन बहिने पार्वती बाई, काली बाई व दाखा बाई थी। भंवरलाल जी के दो पुत्र रामगोपाल व प्रहलाद हुये और केदार बाई बहिन हुई। हीरालाल जी के मोहन जी, प्रकाशचंद पुत्र हुये व घीसी बाई पुत्री थी। इसी प्रकार कालू जी के श्योजी, लटूर जी पुत्र हुये और मन्नी बाई, पंसी बाई पुत्रियां हुई और संयुक्त हिन्दू परिवार की ग्राम भैरूपुरा व ग्राम बाघेर में कृषि आराजी स्थित रही है। ग्राम भैरूपुरा में खसरा नम्बर 27 की रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा स्थित थी और ग्राम बाघेर में खाता संख्या 60 के खसरा नम्बर 306 की रकबा 2.8247 हैक्टर व खसरा नम्बर 307 की रकबा 3.7555 हैक्टर कुल 2 किता की रकबा 6.5802 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है और खाता संख्या 58 की खसरा नम्बर 340 की रकबा 2.4686 और खसरा नम्बर 341 की रकबा 0.1052 कुल 2 किता की रकबा 2.5738 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित भूमि का अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट द्वारा गत् 50 वर्ष से भी अधिक समय से आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है। आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा के तहत अपीलांट्स को ग्राम भैरूपुरा की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 27 की रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई, जिस पर अपीलांट बहैसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है और ग्राम बाघेर की भूमि पर रेस्पोडेन्ट व उनके भाई रामगोपाल, प्रहलाद जी काबिज काश्त चले आ रहे है अर्थात् ग्राम बाघेर के दोनों खातों की भूमि पर भंवरलाल जी व हीरालाल जी के वारिसान रेस्पोडेन्ट्स व उनके भाई बंधु गत् 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है और कालू जी के वारिसान अपीलांट्स भैरूपुरा की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने पूर्व में हुये बाहमी बंटवारे व कब्जे काश्त के विरूद्ध जाकर केवल मात्र ग्राम भैरूपुरा की भूमि के सम्बंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर दिया और एक पक्षीय रूप से सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र प्रस्तुत किये बिना ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दिखावटी नाम के आधार पर ग्राम भैरूपुरा की भूमि के सम्बंध में विभाजन का निर्णय व डिक्री पारित करवा ली जबकि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिये थी और ग्राम बाघेर की भूमि का भी विभाजन करवाया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी गई है जो प्रथम दृष्ट्या ही अवैध व गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट्स को प्रारम्भिक डिक्री के समय सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और यही नहीं तहसीलदार खानपुर द्वारा अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और उक्त प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री पारित फरमा दी गई। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 10.07.2019 निरस्त फरमाई जावे।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील संख्या 2024/17 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि – रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाये जाने के बाद वाद वर्णित भूमि ग्राम भैरूपुरा के सम्बंध में अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2020 पारित करने के पूर्व न तो तहसीलदार खानपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नोटिस जारी कर सूचित किया और ना ही

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री की कार्यवाही में अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2020 पारित की है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया है बल्कि कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया है और एक पक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सूचना दिये तैयार किया गया है। इस प्रकार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के नियमों की पालना नहीं की गई है। सरसरी तौर पर रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है और उक्त त्रुटि पूर्ण विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2020 को पारित की है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर भीम सागर परियोजना के तहत निकाली गई नहर से सिंचाई होती रही है. जिसकी सिंचाई गत् 50 वर्ष से अपीलांट्स ही जमा करवाते चले आ रहे है। सिंचाई की रसीदें संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट है कि आज भी ग्राम भैरूपुरा की जमींन पर अपीलांट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सम्पूर्ण वास्तविक स्थिति के विरूद्ध जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2020 पारित की है। अपीलांट्स को प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री के समय सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और यही नहीं तहसीलदार खानपुर द्वारा अपीलांट्स को सूचित किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया और उक्त प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस ज़ारी किये बिना और सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अंतिम डिक्री पारित फरमा दी गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.01.2024 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तथा अपनी लिखित बहस के आधार पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 8 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 91, 209 आर०टी० एक्ट के तहत प्रस्तुत करते हुये खाता संख्या नया 153 पुराना 133 के खसरा नम्बर 127 की रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा आराजी वाके ग्राम भैरूपुरा, पटवार हल्का बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ के सम्बंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर हिस्सा 1/6 का बंटवारा करवाया जाकर लगान कायम कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि बाद विभाजन मौके पर नपवाकर कब्जा दिलवाये जाने की सहायता चाही गई। उक्त वाद के नोटिस जारी किये गये, जिस पर अपीलांट नम्बर 1 व 2 दिनांक 08.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये और वाद जवाब, प्रतिवादी अपीलांट के लिये नियत किया गया और इसी दौरान दिनांक 30.05.2017 को वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया और पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई। यह कि उसके बाद वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया, जिस पर अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बिना ही वाद को पुनः नम्बर पर ले लिया गया जबकि अपीलांट्स ने न तो प्रार्थना-पत्र की सूचना थी और ना ही उन्हें न्यायालय द्वारा तामील जारी की गई थी और ना ही उन्होंने किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया था और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी पूर्वक कानून के विरूद्ध जाकर अपीलांट को प्रार्थना-पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी की सूचना जारी किये बिना ही और अपीलांट को सम्मन तामील करवाये बिना ही दिनांक 25.09.17 को प्रा०-पत्र आदेश 9 नियम 4 व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4 व धारा 151 सीपीसी पर एक पक्षीय सुनवाई कर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। वाद नम्बर पर लेने के बाद भी अपीलांट को वाद के पुनः नम्बर पर लेने की सूचना या सम्मन न्यायालय द्वारा जारी नहीं किये गये और वाद लगातार जवाब प्रतिवादी में नियत कर दिया गया। इसके बाद अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता महोदय द्वारा जवाब हेतु अवसर लेने का अंकन होता रहा और उसके पश्चात् दिनांक 03.07.2019 को अपीलांट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये दिनांक 10.07.2019 को वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स की एक पक्षीय साक्ष्य लेकर वाद का निर्णय अवैध व गैर कानूनी तरीके से अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना वादग्रस्त भूमि के विभाजन के सम्बंध में प्राथमिक डिक्री पारित फरमा दी गई और अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय व डिक्री गलत व गैर कानूनी तरीके से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2017 को रेस्पोडेन्ट्स के वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया था और उसके बाद रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा वाद को रेस्टोर करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी किये जाने चाहिये थी और अपीलांट्स को नोटिस तामील करवाये जाने के बाद वाद को नम्बर पर लिया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के प्रार्थना-पत्र की सूचना दिये बिना व नोटिस जारी किये बिना ही वाद को नम्बर पर ले लिया और उसके बाद अपीलांट्स के अधिवक्ता महोदय ने अपने दायित्व कर्तव्यों के विरूद्ध जाकर अपीलांट्स को सूचना दिये बिना वाद में उपस्थिति दे दी और जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से जवाब पेश नहीं किया और ना ही अपीलांट्स को जवाब पेश करने के लिये बुलाया और दिनांक 03.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर वाद अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करवाते हुये वाद का निर्णय दिनांक 10.07.2019 को अवैध व गैर कानूनी तरीके से करवा दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचना दिये बिना और उसके बाद अपीलांट्स के पूर्व अधिवक्ता महोदय द्वारा अपीलांट्स की स्वीकृति व सहमति के बिना उपस्थिति देकर अपने अधिवक्ता के कर्तव्यों के विरूद्ध अवैध व गैर कानूनी तरीके से एक पक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 10.07.2019 को पारित करवा दी, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने व विधि द्वारा स्थापित कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2017 जो कि अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित की गई है तथा अपीलांट को सूचना दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध पारित की है, की जानकारी अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 10.01.2024 को रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम भैरूपुरा की आराजी को बेचान करने हेतु दिखाने पर हुई। चूंकि रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को बताया कि उन्होनें वाद वर्णित भूमि का बंटवारा न्यायालय से करवा लिया है और अब वह अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर रहे है, जिस पर तुरन्त ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2020 की नकल दिनांक 19.01.2024 को प्राप्त की और अपील माननीय न्यायालय में पेश की। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, उसका युक्तियुक्त एवं सदभाविक कारण रहा है। अपीलांट बोनाफाईड है और उपरोक्त वर्णित आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस सम्बंध में न्यायालय को उदारता पूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिये। इस सम्बंध में 2017 DNJ SC Page 928 प्रस्तुत है साथ ही 2021 (4) DNJ SC Page 1167 प्रस्तुत है।

इसी के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय DNJ 2014(3) Page 1136 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को धारा 5 लिमिटेशन के मामलों में उदार दृष्टिकोण रखना चाहिये और दृष्टिकोण न्यायनोमुखी होना चाहिये। इस सम्बंध में RRT 2020(2)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Page 838 व RRT 2017(1) Page 446 तथा RRT 2016-17 Sup- (711) एवं RRT 2018-19 Sup-(410) प्रस्तुत है. जिनके आधार पर देरी को कंडोन फरमाया जाना आवश्यक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2019 व अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2020 निरस्त फरमायी जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर जवाबदेही इत्यादि लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य रिकॉर्ड करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम भैरूपुरा की आराजी है जिसमें रेस्पोडेंट 1 ल0 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का दावा पेश किया था। जमाबंदी में जो हिस्सा है उसी के अनुरूप हमें 1/6 हिस्सा मिला है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। प्रतिवादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 के विरूद्ध अपील संख्या 2024/17 पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि वादी रेस्पोडेंट 1 लगायत 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53,91,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु प्रतिवादी अपीलांट को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अपीलांट नम्बर 1 व 2 दिनांक 08.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए और दावा जवाब प्रतिवादी अपीलांट के लिए नियत किया गया और इसी दौरान दिनांक 30.05.2017 को वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया और पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गयी। इसके बाद वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु वादीगण द्वारा आवेदन पेश किया गया जिस पर अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना ही वाद को पुनः नम्बर पर ले लिया गया जबकि अपीलांट को ना तो प्रार्थना पत्र की सूचना थी और ना ही उन्होनें किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी पूर्वक कानून के विरूद्ध जाकर अपीलांट को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी की सूचना जारी किये बिना ही और अपीलांट को सम्मन तामील करवाये बिना ही दिनांक 25.09.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 व धारा 151 सीपीसी पर एकपक्षीय सुनवाई कर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित कर दिया। वाद नम्बर पर लेने के बाद भी अपीलांट को वाद पुनः नम्बर पर लेने की सूचना या सम्मन न्यायालय द्वारा जारी नहीं किये गये

(दीप्ति [illegible] मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

और वाद जवाब प्रतिवादी में नियत कर दिया गया। इसके बाद अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु अवसर लेने का अंकन होता रहा और उसके पश्चात् दिनांक 03.07.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 10.07.2019 को वादी रेस्पोडेंट की एकपक्षीय साक्ष्य लेकर वाद का निर्णय अवैध व गैरकानूनी तरीके से अपीलांट को सुनवाई को अवसर दिये बिना ही वादग्रस्त आराजी के विभाजन के संबंध में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय व डिक्री गलत व गैरकानूनी तरीके से पारित की गयी है जो न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है।

प्रतिवादी अपीलांट के उक्त कथनों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट रूप से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पत्र वादीगण की एकतरफा सुनवाई करते हुए स्वीकार किया गया। रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के पश्चात् भी प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई हेतु सम्मन जारी नहीं किये गये। प्रतिवादीगण सुनवाई हेतु सूचना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, फिर भी उनके अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज करते हुए दिनांक 03.07.2019 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 जारी की गयी जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई को अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 जारी कर तहसीलदार खानपुर को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार खानपुर द्वारा उस आदेश की पालना में दिनांक 16.06.2020 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2020 जारी की गयी। प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार विभाजन प्रस्ताव एवं इस विभाजन के आधार पर जारी निर्णय एवं अंतिम डिक्री को भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अपील संख्या 2024/17 एवं अपील संख्या 2024/18 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2019 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2020 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई को समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा